Mr. Speaker: Let me finish the other items.

Shri Buta Singh (Moga): I want to know whether the Home Minister is making a statement today?

Mr. Speaker: Let him wait.

Shri A. P. Sharma (Buxar): When will the Minister reply?

Mr. Speaker: We have not begun that.

13.05 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

FORTY-EIGHTH REPORT

Shri Surendra Pal Singh (Bulandshahr): I beg to present the Forty-eighth Report of the Public Accounts Committee (1965-66) on Appropriation Accounts (Defence Services), 1963-64 and Audit Report (Defence Services), 1965.

13.05¼ hrs.

DELHI HIGH COURT BILL

(i) REPORT OF SELECT COMMITTEE

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I beg to present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the constitution of a High Court for the Union territory of Delhi, for the extension of the jurisdiction of that High Court to the Union territory of Himachal Pradesh and for matters connected therewith.

(ii) EVIDENCE

Shri Krishnamoorthy Rao: I lay on the Table a copy of the evidence given before the Select Committee on the Bill to provide for the constitution of a High Court for the Union territory of Delhi, for the extension of the jurisdiction of that High Court to the Union territory of Himachal Pradesh and for matters connected therewith.

13.05¾ hrs.

PETITION *RE*. BUDGET ALLOCATIONS FOR FOOD AND AGRICULTURE

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): I beg to present a petition signed by five petitioners regarding budget allocations for food and agriculture.

13.06 hrs.

STATEMENT *RE*. REORGANISATION OF PUNJAB STATE

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): On 21st March, 1966, I made a statement in Parliament to the effect that the Government of India had decided to accept in principle (a) that the present State of Punjab be reorganised on linguistic basis; and (b) that the boundaries of the proposed units may be determined with the help of experts. The Government of India propose to take steps to constitute from the territories of the present State of Punjab two States, namely, Punjab and Haryana States, after transferring to Himachal Pradesh, which will continue to be a Union territory, such of the hill areas particularly of the Hindi Region of the present State of Punjab as are contiguous to that Union territory and have cultural and linguistic affinities with it. For the purpose of determining the boundaries of these units, the Government consider it necessary that there should be an examination of the matter by a Commission, Government have accordingly decided to appoint a Commission with the following terms of reference:

> "The Commission shall examine the existing boundary of the Hindi and Punjabi Regions of the present State of Punjab and recommend what adjustments, if any, are necessary in that boundary to secure the linguistic homogeniety of the proposed Punjab and Haryana States. The Commission shall also indicate the boundaries of the hill areas of

[Shri Nanda]

the present State of Punjab which are contiguous to Himachal Pradesh and have linguistic and cultural affinity with that territory. The Commission shall apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and other relevant considerations. The Commission may also take into account such other factors as administrative convenience and economic well-being, geographic contiguity and facility of communication and will ordinarily ensure that the adjustments that they may recommend do not involve breaking up of existing tehsils."

The Commission will be asked to complete its work and report to Government by the end of May 1966.

2. To give effect to the scheme of reorganisation, legislation will have to be undertaken under articles 3 and 4 of the Constitution. We are, however, advised that under article 3, as it stands, it is not possible to provide by Parliamentary law for the merger of the territories of any State in a Union territory or *vice versa*. The Government have, therefore, decided to bring forward a Bill during the current session of Parliament for amending article 3 so as to extend the scope of this article to cover Union territories. This will confer necessary power on Parliament to make such transfers of hill areas of Punjab to Himachal Pradesh as may be decided upon after considering the recommendations of the Commission proposed to be appointed.

3. As soon as the boundaries of the new States are settled, necessary legislation under article 3, as amended, will be brought forward and subject to its being passed by Parliament early in the next session, we hope to give effect to the reorganisation from the 1st October, 1966.

4. The Committee of Members of Parliament had left it to Government to consider in due course the feasibility of joining the Union territory of Delhi excluding the New Delhi area with Haryana State. The Government have given careful consideration to this matter. Old Delhi and New Delhi constitute one closely integrated administrative unit, which is the seat of National Parliament and National Government. It will not be at all feasible or desirable to break up in any manner the territorial integrity of the Union territory of Delhi. I would also like to add that the proposed reorganisation of Punjab will not in any way affect the territories of any of the adjoining States.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): What about the Commission's personnel? The statement is incomplete.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I request that in view of the momentous importance of the announcement which has just now been made, I might be permitted to make a few observations instead of asking a question.

Mr. Speaker: I am sorry. When a statement is made by a Minister, the only thing we allow is asking questions.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Other persons should also be permitted to do so.

Shri Kapur Singh: The pivotal portion of the announcement which the hon. Minister has made is the basis on which the demarcation of the Hariyana Prant and the Punjabi-speaking State is to be constituted, and for that purpose the Government have laid down the census figures of 1961 as a criterion. What I want to know is whether the Government are aware or not that the linguistic statistics which were obtained through the census operations of 1961 are not linguistic statistics, but are communal statistics, and that language has merely been regarded as a banner of different communal groups to seek

power and protection. If so, does the Home Minister and his Government desire that the Punjabi-speaking State to be demarcated should be a Sikh quarantine area or a linguistic State?

Shri Nanda: I do not think that I am called upon to give any exposition about it. This has been stated here that this is going be one of the factors with due regard to other relevant considerations, and there are several other considerations which are going to influence the Commission's recommendations which have been mentioned. I do not want to enter into an argument.

Shri Priya Gupta (Katihar): He has put a categorical question. The Minister should reply.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): I cannot for the life of me understand how this House can evade the responsibility which is there of discussing the statement. There is already the report of the parliamentary committee. I know that we are all pressed for time, there is no doubt about it. But there are many issues which are raised. In the terms of reference there are certain things which I cannot conceivably get clarified by means of a question. Then, in regard to Delhi and its future, we may or may not have very positive views.

Mr. Speaker: At this time, how can I allow?

Shri H. N. Mukerjee: Here is a statement, a very important statement, made by the Government when Parliament is in session, and certain courses of action....

Mr. Speaker: If some Member gives notice, Government might decide whether it is prepared to have a discussion.

Shri H. N. Mukerjee: That is why I do not want merely asking a few minor questions which necessarily the Minister cannot reply to at length. He said just now that he could not enter into an argument. It is, therefore, desirable, in order to have a proper discussion, for Government to bring forward a motion. So, I am not asking a question.

Mr. Speaker: He has made a suggestion. They will consider.

Shri Kapur Singh: My request may also be considered sympathetically.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो पंजाबी सूबे की साम्प्रदायिक रूप से घोषणा की गयी है, यह प्रश्न सरदार पटेल के सामने आया था, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त के सामने भी आया था, नेहरू जी के सामने भी आया था, और इस सदन के सामने भी आया था, और हम को यह कहा जाता रहा कि यह नहीं बनेगा क्योंकि यह साम्प्रदायिक है । परन्तु जिस प्रकार अब घोषणा की गयी है उसमें यह किस तरह से असाम्प्रदायिक हो गया ? अभी सरदार कपूर सिंह ने जो कहा उससे यह गन्ध आती है कि यह सिख राज्य होगा । क्या हिन्दुओं को वहां से निकाल दिया जाएगा ?

Shri Kapur Singh: No, Sir. This is a misrepresentation. Will you kindly clarify that I made no such claim?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं आप से एक बात की सफाई चाहता था । वह यह कि कांस्टीट्यूशन की आर्टिकिल 2 में यह कहा गया है :

"Parliament may by law admit into the Union, or establish new States on such terms and conditions as it thinks fit."

[श्री त्यागी]

जब बिल आएगा तब मैं अपने खयालात जाहिर करूंगा। लेकिन मैं यह जबान या कौम वगैरह के बेसिस पर हिन्दुस्तान के टुकड़े पसन्द नहीं करता यह साफ कर देना चाहता हूं। लेकिन यह गवर्नमेंट अपने आप सारे अख्तियारात ले रही है कि यों बंटेगा, इस तरह से होगा। क्या ये सारी चीजें कम्पलीट करने के बाद पार्लियामेंट से सैंक्शन ली जाएगी ? माफ कीजिएगा इस बारे में सब के अपने अपने ख्यालात हो सकते हैं, आपका भी कोई खयाल हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट को सावरिन पावर है, पार्लियामेंट के सामने पहले बिल रखें। उनके साथ मैजारिटी है, अगर नन्दा जी चाहें तो हिन्दुस्तान के एक हजार टुकड़े कर सकते हैं उनको ताकत हासिल है, लेकिन जो ऐसा नहीं चाहते उनको अपनी बात कहने का मौका तो दें। पहले पार्लियामेंट में बिल पेश करके उसूल तै कर लें फिर आगे चलें। यह क्या ठीक है कि पार्लियामेंट के अख्तियारात को अपनी ताकत में लेकर, मैजारिटी की ताकत से यहां तक चले जाएं कि देश के टुकड़े कर दें। इसका आपको कोई हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री त्यागी : इस को बिल की शक्ल में यहां रख सकते हैं और फिर आगे चल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि इस वक्त तो सिर्फ सवाल हो सकते हैं, एक एक छोटा सा सवाल कोई कर ले अगर मिनिस्टर साहब जवाब दे सकें तो। इस वक्त स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म और बाकी चीजों के लिए मौका नहीं है। इस वक्त तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके स्पष्टीकरण के लिए कि इसका क्या मतलब होगा कुछ पूछा जा सकता है।

श्री त्यागी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट को अख्तियार है कि ओवर की हैड आफ पार्लियामेंट यह काम शुरू कर दे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो वह सोचेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी से प्रश्न पूछने के पूर्व एक निवेदन आप से बड़ी नम्रता के साथ करना चाहता हूं। श्री त्यागी जी ने जो कहा उससे एक कदम पीछे हट कर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पंजाब के विभाजन की घोषणा की। आपकी कमेटी ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद आज सरकार ने डिमारकेशन के सम्बन्ध में एक सिद्धान्त पेश किया। कितना महत्वपूर्ण निर्णय देश में होने जा रहा है, संसद बैठी हुई है। संसद् को एक बार भी अधिकार नहीं दिया गया इन तीनों में से। संसद् को विश्वास में लेकर सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए था। अब जब यह चीज होने जा रही है तो मैं चाहता हूं कि विधेयक के आने से पूर्व आप द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर और सरकार के अपने वक्तव्य पर सदन में जनता के प्रतिनिधियों का मत जाना जाए।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि गृह मन्त्री जी ने कहा कि जो सन् 1961 की जनगणना है उसके आधार पर यह विभाजन किया जाएगा और दूसरी बातों पर भी विचार किया जाएगा। तो मेरा कहना है कि यह सरकार आधे मन से क्यों काम करती है आपकी कमेटी के लिए एक बार कहा गया कि यह मन्त्रि परिषद् की उप-समिति को राय देने के के लिए बनायी गयी है, बाद में यह कहा गया कि यह पार्लियामेंटरी कमेटी है। एक ओर गृह मन्त्री कहते हैं कि 1961 की जनगणना का आधार होगा, उसके बाद यह भी कहते हैं और बातों पर भी विचार किया जाएगा। तो यह आधे मन से क्यों काम करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं और इस प्रकार पंजाब और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो यह खिलवाड़ की जा रही है कि इसके क्या

दुष्परिणाम होंगे क्या गृह मन्त्री जी ने इस पर विचार कर लिया है।

और इन निर्णयों को कार्यान्वित कराने से पूर्व क्या पंजाब में यही गवर्नमेंट रहेगी या कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति का शासन वहां लागू करेंगे और उसके बाद इन निर्णयों को कार्यान्वित कराएंगे ?

श्री नन्दा : इन बातों पर निश्चय किया जायगा। फौरन मैं कोई जवाब नहीं दे सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह क्या उत्तर हुआ ? अध्यक्ष महोदय, क्या आप सन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर सोचविचार कैसे करना है अभी तक फैसला नहीं किया गया है, मैं इस बारे में क्या कहूं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह तो आप उनसे कह सकते हैं, जो घोषणा उन्होंने की है कि 1961 के आधार पर विचार किया जायगा, इसके अलावा अन्य बातों पर भी विचार किया जायगा . . .

श्री रामेश्वरानन्द : क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्रश्न था ही नहीं।

श्री रामेश्वरानन्द : कैसे नहीं था। मैं यह कहता हूं कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से यह प्रश्न चलता आ रहा है और हमको आप कहते रहे कि यह नहीं बनेगा, लेकिन आज कह दिया कि बनेगा और यह यह घोषणा यहां पर कर दी गई। यह कैसे हो गया, आज क्या बात हो गई ?

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): In view of the fact that self-determination happens to be the sheet-anchor of the democratic functioning of a State, I want to know whether Government has evolved any scheme of ascertaining the opinion of the people of Delhi through some form of plebiscite. What will be the shape of Delhi in the future context of things?

Mr. Speaker: The hon. Member wants to know whether Government has found out the opinion of the citizens of Delhi through a plebiscite or not. That is what he wants to know.

Shri Nanda: There are so many things and so many considerations. There are so many feelings and opinions. After taking into account all considerations Government comes to a conclusion. If Parliament wants anything else to be done, certainly it will be open further for Parliament to do it.

Mr. Speaker: Shri Maurya.

श्री मौर्य (अलीगढ़) : भाषा तथा जनता की सुविधा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन हो, यही जनतन्त्र का मुख्य सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त को लेकर देश में एक कमीशन भी बैठा था। जिसमें पाणिकर साहब ने अपने विचार भी दिये थे और इसी सिद्धान्त को लेकर अभी बहुत सी परेशानियां भी पैदा हो रही हैं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ?

श्री मौर्य : श्रीमन्, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री त्यागी : एक-एक जिले को प्रान्त प्रान्त बना दो।

श्री मौर्य : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि . . . (व्यवधान)

मैं पहले श्रीमन्, आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि कुछ विशेष व्यक्ति हैं इस सदन में, जो प्रश्न पूछने के नाते बोलते रहते हैं और कोई रुकावट आपकी तरफ़ से नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ज्यादती की बात है। हर एक मेम्बर की यह आदत होती जा रही है। मैं कहता रहा हूं कि आप सवाल पूछें, किससे नहीं कहा, अब आप कहते हैं कि कुछ विशेष व्यक्ति हैं।

श्री मौर्य : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं श्रीमन्। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा विशाल प्रदेश है, जिसके सम्बन्ध में वहां के 240 एम० एल० एज० के दस्तखत आये हैं। अभी यहां पर पंजाबी सूबे की बात हुई है, पंजाबी सूबे की बात आपने मानी है, मुझे ऐतराज है कि आपने थोड़ी देर से मानी, पहले मान ली होती तो अच्छा था . . .

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री मौर्य : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। पंजाबी सूबे की चर्चा करते समय गृह मन्त्री को दिल्ली और नई दिल्ली की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने चर्चा की है। तो मेरा प्रश्न यह है पुरानी दिल्ली, हरियाणा प्रान्त और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिले आपस में मिल कर एक वृहत्तर दिल्ली बनाने की योजना कर रहे हैं, उसके लिये मांग चल रही है, क्या इसकी ओर सरकार का ध्यान गया है या आपका ध्यान दिलाने के लिये कुरबानी करनी होगी, जेल जाना होगा, मरना होगा ?

Shri A. P. Sharma (Buxar): Sir, I rise on a point of order. I want to raise a point of order that Mr. Maurya has talked something which is not quite connected with this Statement. He should not be allowed to continue.

Mr. Speaker: Mr. D. C. Sharma:

श्री मौर्य : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : कोई जरूरत नहीं है। उसमें कोई जवाब नहीं आता।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : वहां की भाषा एक है।

श्री मौर्य : संघर्ष कराना चाहते हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी जगह संघर्ष न कीजिये। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order, order.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): On the statement read out by the Home Minister one could have raised a point of privilege because it does not refer to one question or two questions or three questions, but to four questions; and I do not understand why the Home Minister, while making the statement on the Punjabi Suba, on division of Punjab on linguistic basis, has brought in so many different things....

Mr. Speaker: Only comments are being offered. Hon. Members should put clarificatory questions.

Shri D. C. Sharma: But, Sir, I do not want to raise the point of privilege. One could have raised a point of privilege on the ground that it is going back upon the policy enunciated by the greatest leader whom we had produced....

Mr. Speaker: Has he a question or not?

Shri D. C. Sharma: Now, Sir, I want to ask one question of the Hon. Home Minister. It is this, Sir. Now, he has told us that....

Mr. Speaker: There is no question.

Shri D. C. Sharma: He should tell us who are going to be the members of the Commission that is going to be constituted.

Shri Nanda: As soon as a decision is taken the House will be informed.

Mr. Speaker: Mr. Siddhanti.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : "कुफ टूटा खुदा खुदा कर के" यह पहला मौका है...

अध्यक्ष महोदय : ग्राप प्रश्न कीजिये ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : ग्राज हरयाणा का नाम पहली बार लिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यह हरयाणा पंजाब के ग्रन्दर फेंका गया था, उस समय पुरानी दिल्ली भी फेंकी गई थी ग्रौर पुरानी दिल्ली पंजाब का एक जिला था । तो इसलिये यह लाज़मी है कि ग्रब भी हरयाणा बनाते समय पुरानी दिल्ली को उसमें शामिल किया जाय ।

Mr. Speaker: Shri Kamath.

Shri Hari Vishnu Kamath: Mr. Speaker, Sir, I wish for heaven's sake and in the national interest my hon. friend Shri Tyagi had been more alert, more awake and more vocal when the Bill for the Reorganisation of States on linguistic basis was discussed in this House in 1955 and 1956. I do not know what had happened to him then. He could have raised his voice then and he would have been heard as he was minister, fortunately for him. Now, Sir, I hope that the demand which has been made just now by several Members, several hon. friends, that there should be a debate, a discussion, on this matter would be allowed by you after due notice has been given by one of us either on this statement or on the report of the Parliamentary Committee on the Punjabi Suba. I hope, Government will find it convenient to find some time for this discussion.

Mr. Speaker: He may kindly come to the question.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am putting the question. I would request you to be a little more tolerant and patient. Government has been for once expeditious with regard to proceeding about this matter. May I know however, why this ominous silence is being observed with regard to the personnel of the Commission? Is it secret?

Shri Nanda: Yes. In answer to the previous question I stated that immediately the personnel is settled the House will be informed.

Shri Nath Pai: Will it consist of one person or there will be more members?

Shri Nanda: It may be one; it may be more.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने पिछली बार वक्तव्य देते हुए श्री यज्ञदत्त शर्मा को जो ग्राश्वासन दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए क्या उनको दिये हुए ग्राश्वासन पर सरकार ग्रब भी कायम है ?

श्री बागड़ी : क्या ग्राश्वासन दिया था भूख हड़ताल तोड़ने के लिये ?

Shri Kapur Singh: We want to know whether any assurance was given by the Government or not, and if so, what is the assurance. (*Interruptions*).

Shri Nanda: We want to know what he refers to as an assurance.

श्री बागड़ी (हिसार) : पिछले दिनों पंजाबी सूबे के बारे में निर्णय लिया गया था । उस वक्त पंजाब का वातावरण बहुत खराब हो गया था । सरकार को चलाने वाले जो वहां लोग हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी । उन्हीं के हाथों में तब पंजाब की बागडोर थी ग्रौर ग्रब भी है । उसका परिणाम यह हुग्रा था कि पंजाब के ग्रमन ग्रौर चैन को खतरा पैदा हुग्रा था । इस चीज को सामने रखते हुए जो तत्व सरकार के नीति के खिलाफ चल रहे थे उनको राजगद्दी पर बनाये रखना क्या उचित है ?

[श्री बागड़ी]

इसके गर्भ में से हरियाणा प्रान्त निकलता है । उसको लेकर एक विशाल सघर्ष चलने वाला है । मांग यह है कि विशाल हरियाणा बनाया जाए । इसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार खुले दिल से इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है और ऐसा हरियाणा बनाने के लिए तैयार है जिसमें आगरा, मेरठ, भरतपुर इत्यादि इलाके शामिल हों ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि किसी और स्टेट को टच नहीं किया जाएगा ।

श्री बागड़ी : बाकी का जो प्रश्न है उसका जवाब तो दिलाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि पंजाब में जो मिनिस्ट्री है वह मुखालिफत करती रही है । उसमें कुछ तब्दीली लाने का या उसको बदलने का कोई इरादा सरकार रखती है ?

श्री नन्दा : यह सवाल उठना नहीं चाहिये । यह गलत किस्म का सवाल है । किस ने किस स्टेज पर क्या कहा, किसी के किसी स्टेज पर क्या व्यूज़ रहे, उसका कोई असर नहीं होता है । जो फैसला होता है उसको देखा जाना चाहिये और उस पर अमल किया जाना चाहिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : औरों के सवालों के तो आपने उत्तर दिलवा दिये हैं, मेरे प्रश्न का भी तो उत्तर दिलवायें । श्री यज्ञदत्त शर्मा ने सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर ही अपना अनशन तोड़ा था. . .

अध्यक्ष महोदय : न सरकार को पता है न ही मुझे पता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सरकार को पता है । सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन पर ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री ने आपके खिलाफ भी पक्षपात के आरोप लगाये थे । जो यह कमेटी थी इसको भी फिरकापरस्त करार दिया था. . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : मरदुमशुमारी के एदादोशुमार 1941, 1951 और 1961 के हमारे सामने हैं । पहले दो एदादोशुमार के बारे में उस वक्त के सेंसस कमिश्नर ने अपने आपको डिसोसिएट किया था । 1951 के एदादोशुमार के सम्बन्ध में उस वक्त के होम मिनिस्टर ने अपने आपको डिसोसिएट किया था । 1961 के जो आंकड़े हैं उनके बारे में हमारे गृह मन्त्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, खामोशी साधे हुए हैं और ऐसा लगता है कि वह उसको मानते हैं । आपको मालूम ही है कि 1961 के सेंसस में सिखों ने अपनी भाषा पंजाबी और हिन्दुओं ने अपनी भाषा हिन्दी लिखाई. . .

श्री डी० चं० शर्मा : मैंने अपनी भाषा पंजाबी लिखाई थी ।

श्री बूटा सिंह : जब इसको आधार मान कर पंजाब का पुनर्गठन होने जा रहा है तो इसका विरोध सन्त फतह सिंह ने भी किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जब हिन्दुओं ने अपनी भाषा हिन्दी लिखाई. .

श्री रामेश्वरानन्द : आपको क्या अधिकार है यह कहने का कि किसने अपनी भाषा क्या लिखाई ? यह उनका अधिकार है कि जो भाषा वे चाहें लिखायें । आपको क्या अधिकार है यह कहने का. . .

अध्यक्ष महोदय : यह भी मैम्बर हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : भाषा का अधिकार भाषा बोलने वालों का है, इनका क्या अधिकार है ?

श्री बूटा सिंह : जब ग्राप 1961 को ग्राधार मान रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं निकल सकता है कि ग्राप कम्युनल बेसिस पर पंजाब को रिग्रार्गेनाइज करना चाहते हैं ?

Shri Nanda: It is quite obvious that there are divergent views and attitudes on this question, that it should be wholly 1961 census, that the 1961 census should be ruled out completely, etc. The formulation of the terms of reference is based on this that the commission should have the latitude and therefore it has been so phrased that there is flexibility and the commission will be able, after hearing everybody and everything, to come to any recommendations that it will consider proper in the circumstances.

श्री रामेश्वरानन्द : भाषा का ग्रधिकार भाषा को बोलने वालों का है । इसको उन से पूछा जाना चाहिये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया जाता है । कैसे यह पूछ सकते हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : 1961 के सेंसस के बारे में भेद है । 1941 ग्रौर 1951 के सेंसस के बारे में भी यह कहा जाता है कि ये ग्रांकड़े गलत थे । मैं जानना चाहता हूं कि 1971 की सेंसस को क्यों ग्राधार नहीं माना जाता है ? जो हिन्दी लिखायें ग्रौर जो पंजाबी लिखायें, उसके बेसिस पर क्यों न बटवारा किया जाए ? क्यों हम लोग इसकी जिम्मेदारी लें ।

ग्रध्यक्ष महोदय, क्या जवाब दिया है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : मैं 376 के ग्रन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने रंगा साहब को बुलाया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : ग्रापने मुझे कहा है कि जो इत्तला मेरे पास है मैं विदेश मंत्री को दे दूं । वह इत्तला विदेश मंत्री को ...

ग्रध्यक्ष महोदय : कुछ भी ग्रब रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया :***

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । इतनी देर तो सिर्फ मैंने यह कहा कि रिकार्ड पर नहीं जाएगा । ग्रब जबर्दस्ती . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : रिकार्ड के लिये मैं नहीं बोल रहा हूं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं ग्राया है । 1961 की सेंसस को क्या न ग्राधार माना जाए ? पार्लियामेंट इज नाट कंसलटिड, पार्टी इज नाट कंसलटिड इस परपज के लिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं ग्राया । मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाया जाए ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब वह नहीं हो सकता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कारण है

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब ग्राप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : ग्राप जवाब ही दिलाना नहीं चाहते हैं ।

***Not recorded.